रजिस्ट्री स. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1985/फाल्गुन 9, 1906
No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, FEB 28, 1985/PHALGUNA 9, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1985

स 25/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का नि 120(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद स 68 के अन्तर्गत आने वाली घडियो के सघटको को, उन पर

उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्यानुसार एक प्रतिशत से अधिक है ।

[सं. 25/85-के.उ.शु. (फा. सं. 18/1/85-के.उ.शु.-1)]

बी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1985

NO. 25|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts watch components, falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and 'Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of duty of excise leviable thereon as is in excess of one per cent *ad valorem*.

[No. 25|85-CE (F. No. 18|1|85-CX. I)]

B. R. TRIPATHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985